कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

(क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, Regional Office, Patna)

भवि''य निधि भवन / Bhavishyanidhi Bhawan

आर0 ब्लॉक, रोड नं0–6, पटना–800 001 / R, Block Road No – 6, Patna – 800 001

दूरभा ष / Phone : 0612-2227139, 2227410, Fax - 0612 - 2506632: e-mail : ro.patna@epfindia.gov.in

4

पत्र सं0 / Letter No: बी.आर./समन्वय/ मिस./2016/4140 दिनांक / Date: 22-12-16

सेवा में,

श्रीमति अंशुली आर्या, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव महोदय,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत अनुपालन के संबंध में।

संदर्भः श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार का पत्र संख्या – 4/एफ 1–20/2016 श्र.सं.–3274 दिनांक 28-07-2016 ।

महोदया,

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है जिसके अंतर्गत तीन योजनाएँ यथा (1) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (2) कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 एवं (3) कर्मचारी निक्षेप सहबद्व बीमा योजना, 1976 कार्यान्वित होती है। इनके माध्यम से स्थापनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाता है ।

उपर्युक्त विषय में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के उपरोक्त पत्र का संदर्भ लें । इसके द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि आपके अधीनस्थ कारपोरेशन/सोसायटीज/विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि प्रधान नियोक्ता होने के नाते आपके अधीनस्थ विभाग/कारपारेशन/सोसायटीज/बोर्ड में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रदत्त लाभ प्रदान कराना संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व है ।

इस आशय से एक संक्षिप्त विवरणी संलग्न है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत प्रदान की जाने वाली लाभों का विवरण एवं उपरोक्त नियमों के उल्लंधन पर दाण्डिक कार्रवाई के बारे में जानकारी उपलब्ध है ।

उपरोक्त के आलोक में आपसे आग्रह है कि अपने अधीनस्त को यथोचित निदेश देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय ।

भ व दी य

संलग्नकः उपरोक्त ।

(एस.के.झा)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त–।
बिहार, पटना ।

बिहार सरकार

<u>लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग</u>

ज्ञापांक–1 / एम–1–103 / 2017– 22 पटना, दिनांक– 12.1.17

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) / सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक / यांत्रिक) / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, 03, 06 एवं 08 / आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दयाशंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

New note/letter/